बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 68

कड़ी चुनौती

तमाम ऐसे संकेतक हैं जो यह बताते हैं कि वृहद आर्थिक क्षेत्र में भारत की लंबे समय से चली आ रही बेहतर स्थिति अब समाप्त होने को है। बीते पांच वर्ष के दौरान अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों और जिंस कीमतों के कारण भारत की वृहद आर्थिक स्थिति काफी भाग्यशाली रही। इन वैश्विक कारकों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में भी आंशिक रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया। वैश्विक पूंजी की आसान उपलब्धता ने चालू खाते के घाटे की भरपाई करने में सहायता की। कमतर मुद्रास्फीति और कमजोर जिंस कीमतों ने राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद की है। इससे सरकार को यह अवसर मिला कि वह मौद्रिक मोर्चे पर सख्ती न बरते। परंतु अब इस बात पर संदेह उत्पन्न हो गया है क्योंकि सरकार वर्ष 2018-19 के 11 फीसदी के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने से चूक गई है। ऐसा इसलिए कि वस्तु एवं सेवा कर, आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रह कम रहा है। परंतु सरकारी व्यय ने वृद्धि दर को बरकरार रखने में मदद की है। यह चक्र काफी हद तक उन बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जो भारत के नियंत्रण से बाहर हैं। इन कारकों में से कई अब समाप्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिए कच्चे तेल की कीमतें। ऐसा लगता नहीं कि ये कीमतें 2014 के पहले की तरह 100-130 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में वापस जाएंगी। ये कीमतें कुछ समय तक 70-80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बनी रहेंगी। रुपया भी 70 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा। तेल कीमतें इस वर्ष पिछले साल की तुलना में एक तिहाई तक बढ़ी हैं। इन्हीं चिंताओं की बदौलत इंडिया वीआईएक्स, जो नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार-चढ़ाव का आकलन करता है, हाल में तीन वर्ष के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया।

घरेलू स्तर पर भी कठिनाइयां दिख रही हैं। खासतौर पर कारोबारी आय अथवा निजी निवेश में सुधार का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा। क्षमता के इस्तेमाल में सुधार के बावजूद नए परियोजनाओं में इजाफा नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है कि शहरी और ग्रामीण मांग के तमाम प्रमुख संकेतकों पर मांग कमजोर बनी हुई है। वर्ष 2018-19 में यात्री कार की बिक्री केवल 3 फीसदी बढ़ी। चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो शुरुआती संकेत अर्थव्यवस्था में धीमेपन के हैं। विदेशों से हो रही डॉलर आवक ने बाजार को संभाल रखा है। परंतु यह स्थायी सिलसिला नहीं है। खासतौर पर लंबे समय से कमजोर बनी हुई आय, अवमूल्यित होता रुपया और अन्य उभरते बाजारों में सुधार के कारण यह आवक कमजोर हो सकती है। कुछ विरोधाभासी संकेतक भी हैं। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट क्षेत्र को बैंक ऋण में सुधार। हालांकि ऐसा गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में गिरावट के कारण भी हो सकता है। वित्तीय क्षेत्र की दिक्कतों पर भी विचार किया जाना चाहिए। रेटिंग में गिरावट के बाद एनबीएफसी संकट एक बार फिर सुर्खियों में है। दिवालिया एवं ऋणशोधन प्रक्रिया का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। इस बीच सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को ऋण समेत बैंकिंग क्षेत्र में संकट बरकरार है।

सरकार ने अपने व्यय की मदद से वृद्धि दर को बरकरार रखा है लेकिन लगातार दो वर्ष तक घाटे में कमी के बाद अब उसके पास सीमित राजकोषीय गुंजाइश है। सरकारी व्यय पर बढ़ते दबाव के चलते निजी निवेश में इजाफा आवश्यक है। नई सरकार को कार्य भार संभालने के तत्काल बाद इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर नई सरकार महत्त्वाकांक्षी सुधार योजनाओं पर जल्द अमल करे तो बेहतर होगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं का उत्साह बढ़ेगा बल्कि निजी निवेश और निर्यात में सुधार का माहौल भी तैयार होगा।

लोकतंत्र, डिजिटल इंडिया और नेटवर्क

डिजिटलीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था अनिवार्य तौर पर नेटवर्क के माध्यम से संचालित होते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **श्याम पोनप्पा**

देश में डिजिटलीकरण से जो भी लाभ या नुकसान हुए हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है। इनका प्रत्यक्ष संबंध लोकतंत्र के समक्ष आई चुनौतियों और उससे जुड़े लाभों से भी है। डिजिटलीकृत नेटवर्क को लेकर जो अनियंत्रित हड़बड़ी देखने को मिल रही है, उससे अलग-अलग तरह से ही सही लेकिन पहुंच और किफायत के मामले में जबरदस्त लाभ सामने आए हैं। ये लाभ व्यक्तिगत स्तर पर भी हैं और सामूहिक स्तर पर भी।

उदाहरण के लिए परिवार के स्तर पर, मित्रों के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, राजनीति में, कार्यस्थल में आदि। हालांकि इसका एक अंधेरा पक्ष भी है। यानी सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक स्तर पर उपद्रव, कट्टरता, निरंकुशता, फासीवाद, अराजकता और सामाजिक निष्क्रियता आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपनी तमाम जरूरतों, प्रतिभाओं और विरोधाभास के बीच डिजिटलीकरण ने हमें बहुत सक्षम बनाया है।

लोकतंत्र की बात करें तो इससे जुड़ी रूमानियत विशुद्ध रूप से सतही बात है। वास्तव में इसकी हकीकत कहीं अधिक कठोर रही है और अब भी है। यह वास्तव में वरीयता वाले बुर्जुआ वर्ग के व्यवहार की चीज रही है।

अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो हमारी राजनीतिक तैयारी अधूरी है और इसलिए यह स्थान उन राजनेताओं ने कब्जा लिया है जिनमें से अधिकांश अवसरवादी हैं। यह प्रशासन के लिए आवश्यक जटिल विश्लेषण और निर्णय क्षमता के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अधिकांश नागरिकों को भ्रम है कि उन्हें चयन की स्वतंत्रता है जबकि उनकी यह स्वतंत्रता सत्ताधारी दल को चुनने या नकारने अथवा एक जैसे नेताओं में से किसी का चयन करने तक सीमित है। यहां डिजिटलीकरण की प्रत्यक्ष भूमिका है। मीडिया के तमाम स्वरूपों की बदौलत इसका प्रभाव भी व्यापक है। कैंब्रिज एनालिटिका मामले में हम देख चुके हैं कि पैसे और राजनीति का गठजोड़ किस प्रकार काम कर रहा है।

मैकिंजी की डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2019 के मुताबिक देश के डिजिटलीकरण के तमाम लाभ हैं लेकिन केवल 40 फीसदी आबादी की पहुंच ही इंटरनेट तक है और सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है। इसके बावजूद नए डिजिटलीकृत हुए क्षेत्रों को जबरदस्त लाभ हासिल हुए हैं। उदाहरण के लिए लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेड़ों के पलटाव में लगने वाला समय 50 से 70 फीसदी कम हुआ है। डिजिटलीकृत आपूर्ति शृंखला ने कंपनियों की इन्वेंटरी में 20 फीसदी तक कमी की है। सवाल यह है कि इसका कैसे प्रबंधन किया जाए कि लाभ अधिक हों और नुकसान कम हों तथा निजता बची रह सके।

तालिका - 1 कोलंबिया और मलेशिया तुलनात्मक रूप से फायदे में

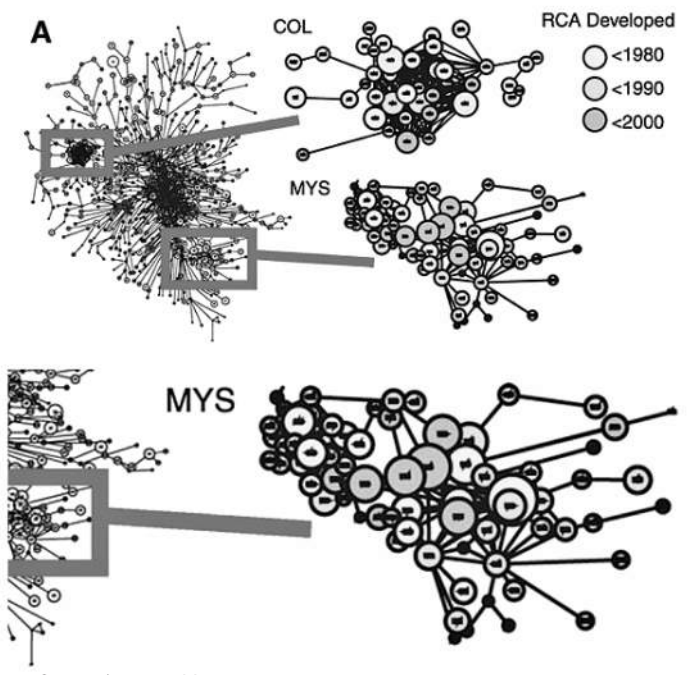

स्रोत- हिडाल्गो एट ऑल,
https://science.sciencemag.org/content/317/5837/482

तालिका - 1 भारत के लिए निर्यात करने की संभावनाएं (2017)

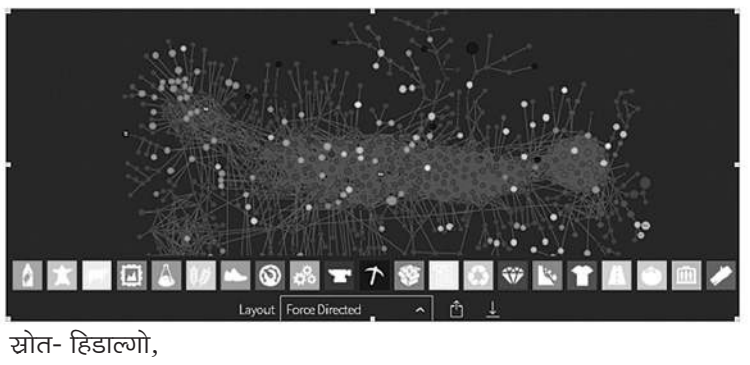

स्रोत- हिडाल्गो,
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/network/hs92/export/ind/all/show/2017/

सचेत नियमन के निहितार्थ

नेटवर्क विज्ञान हमें बताता है कि वास्तविक दुनिया के नेटवर्क में दो गुणधर्म होते हैं। पहला समय के साथ वृद्धि और दूसरा, नए नोड अक्सर अधिक जुड़े हुए नोड या हब के साथ जुड़ जाते हैं। वृद्धि और प्राथमिकता आधारित संबद्धता के चलते कुछ उच्च संपर्क वाले हब लगभग सभी नेटवर्क में तैयार हो जाते हैं। फिर चाहे वह हमारे शरीर में कोशिकाओं का नेटवर्क हो, कंप्यूटर चिप का, परिवहन से जुड़े लोगों का या इंटरनेट का। सभी नेटवर्क में ऐसे गुणधर्म समान होते हैं।

फेसबुक, एमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनियों ने जो दबदबा दिखाया है, वह बताता है कि नेटवर्क में नियमन और ढांचे की कितनी अहमियत है और यह उनके विकास और नतीजे सामने लाने में कितना योगदान दे सकता है। यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हमारे देश में हाल के दिनों चुनावी फंडिंग को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। इससे अस्पष्टता बढ़ी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका में भी इजाफा हुआ है।

अब राजनीतिक दल अबाध ढंग से विदेशी या घरेलू फंडिंग हासिल कर सकते हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए फंड को गोपनीय रखा जा सकता है। राजग और कांग्रेस दोनों ने पुरानी तिथि से लागू इस नई व्यवस्था का लाभ उठाया है। ऐसे में समाचार और सोशल मीडिया में नियमन और समुचित नियंत्रण की आवश्यकता भी सामने आई है।

प्रमाण आधारित नीतियां

डिजिटलीकरण का एक सकारात्मक पहलू नेटवर्क विज्ञान के प्रयोग से संबंधित है। इसका इस्तेमाल विभिन्न कारकों और कार्रवाई योग्य नीतियों के बीच संबंध को आंकने में किया जाता है। मिसाल के तौर पर प्रभावी उपचार के लिए जीन और बीमारियों के बीच का रिश्ता समझना या विभिन्न देशों को निर्यात के लिए किसी उत्पाद को उन्नत करना। अगर गौर किया जाए तो यह पता चलता है कि अधिकांश उन्नत उत्पाद गहन संबद्धता वाले नेटवर्क से आते हैं जबकि कमजोर गुणवत्ता के उत्पाद कम घनत्व वाले क्षेत्र से। विभिन्न देश उन उत्पादों को वरीयता देने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उनके विशिष्ट कौशल के अनुरूप हों। दरअसल हमें बेहतर नियोजन और क्रियान्वयन वाले एक उपयुक्त नियमन की आवश्यकता है। इस नियमन में शासन, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक नीति आदि को लेकर गहन अंतर्दृष्टि होनी जरूरी है। वास्तविक राजनीति और रुढ़िवादिता, धार्मिकता, जातीयता आदि को लेकर अन्मयस्कता के चलते आवश्यकता यह है कि राजनीति और फंडिंग के गठजोड़ में बदलाव लाया जाए और एक पारदर्शी, सरकारी फंडिंग वाली व्यवस्था लागू की जाए। क्या ऐसा बदलाव संभव है? हाल के दिनों में कुछ प्रयास किए गए हैं जो अतीत में गोस्वामी समिति (1990) और वोहरा समिति (1993) द्वारा किए गए चुनावी सुधार के प्रयासों से आगे के हैं, वे तात्कालिक आवश्यकता जाहिर करते हैं। परंतु क्या सार्वजनिक विचार और अवसरवादी विपक्ष के हित, राजनीतिक फंडिंग में उचित और प्रभावी बदलाव ला सकते हैं?

प्रश्न यह भी है कि स्वास्थ्य, विनिर्माण, कृषि, वित्त निर्माण और निर्यात आदि क्षेत्रों से संबंधित नीतियों को लेकर सरकार व्यवस्थित पेशकदमी कर सकती है? यह उम्मीद कुछ ज्यादा ही है। अधिक से अधिक यह उम्मीद की जानी चाहिए कि ब्रेक्सिट जैसी अवधारणाएं अधिक समान व्यवहार की जमीन तैयार करती हैं।

मलेरिया के खिलाफ लड़ाई की दिशा में बढ़ते सबके हाथ

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

मलेरिया से बचाव के लिए पहली बार आए टीके के चौथे चरण का पिछले दिनों प्रायोगिक परीक्षण हुआ। घाना, केन्या और मलावी के करीब 360,000 बच्चों को आरटीएस,एस टीका लगाया जाएगा। दवा कंपनी जीएसके ने मॉसक्यूरिक्स नाम से यह टीका तैयार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'कंप्लीमेंटरी मलेरिया कंट्रोल टूल' (मलेरिया के रोकथाम का पूरक उपाय) के रूप में परिभाषित किया है।

वर्ष 2017 में मलेरिया से जुड़ी 435,000 मौतें हुई थीं और खास तौर पर युवा बच्चे इस बीमारी के निशाने पर थे। इस बीमारी ने सबसे अधिक कहर अफ्रीका के युवा बच्चों पर ढाया है। मलेरिया से हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के 250,000 बच्चे काल कवलित हो जाते हैं। इस तरह, 2017 में मलेरिया के शिकार हुए 266,000 बच्चों की तादाद खासी अधिक कही जा सकती है। उस वर्ष 100 देशों में इस बीमारी के 2.19 करोड़ मामले सामने आए थे। यह टीका तैयार होने में 30 वर्षों से भी अधिक का समय लगा और करीब 50 करोड़ डॉलर रकम खर्च हुई है। हालांकि यह टीका मलेरिया से लड़ने में आंशिक रूप से ही असरदार है और यह केवल प्लाज्मोमिडयम फाल्सिपेरम परजीवी के खिलाफ काम करता है और दूसरा बड़ा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम विवेक्स इसकी जद में नहीं आता है। इस तरह, यह टीका केवल 40 प्रतिशत तक ही कारगर साबित होता है, लेकिन यह आंशिक सुरक्षा भी असुरक्षा से बेहतर तो जरूर कही जा सकती है।

मलेरिया निरोधक टीका तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र बिल गेट्स ने बखूबी किया है (बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यह टीका विकसित करने और मलेरिया के खिलाफ अन्य उपाय करने में वित्तीय मदद मुहैया कराई है)। गेट्स ने मलेरिया परजीवी को ऐसा खतरनाक वायरस करार दिया है जो आकार बदलता रहता है। मलेरिया के कई परजीवी हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कई बार रूप बदलते रहते हैं। प्रत्येक परजीवी कम से कम 60 तरह के प्रोटीन का स्राव करता है और ये बारी बारी से सामने आते रहते हैं। हमारी प्रतिरोधी क्षमता किसी एक खास प्रोटीन की पहचान कर बीमारी से लड़ती है। टीके भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। श्रेष्ठ 'मल्टी-प्रोटीन' टीके (निमोनिया निरोधी) एक दर्जन विभिन्न प्रोटीनों से लड़ सकते हैं। मलेरिया शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को चकमा देने में सफल रहता है और ज्यादातर सुरक्षा परतों को पार कर जाता है। इसके अलावा बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई किसी भी कोई भी दवा के दुष्प्रभावों की पड़ताल भी जरूर होती है।

वर्ष 2009 से 2014 के बीच आरटीएस,एस का परीक्षण तीन चरणों में हुआ और बुरकिना फासो, गैबन, घाना, केन्या, मलावी, मोजांबिक और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के करीब 15,000 बच्चों एवं नवजात शिशुओं को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। इस टीके की चार खुराक दी जाती हैं। पहली खुराक शिशु के पांच महीने का होने के बाद और दूसरी और तीसरी खुराक एक महीने के अंतर पर और अंतिम खुराक दूसरे जन्मदिन के आस-पास दी जाती है। डब्ल्यूएचओ का दावा है कि 5 से 17 साल के जिन बच्चों को आरटीएस,एस की चार खुराक दी गई, उनमें चार वर्षों के दौरान मलेरिया के 10 में करीब 4 (39 प्रतिशत) मामलों की रोकथाम हो गई। मलेरिया के गंभीर मामलों में 10 में से करीब तीन की रोकथाम संभव हुई और रक्त चढ़ाने की जरूरत 29 प्रतिशत तक कम हो गई। मलेरिया के उन मामलों को गंभीर माना गया है, जिनमें शुरुआती संक्रमण जान लेवा साबित हो सकता है।

यूरोपीय संघ की यूरोपीय मेडिसिन्स एजेंसी ने तीनों चरणों की समीक्षा के बाद टीके के सामान्य इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इस टीके से जनित कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे शरीर के जिस हिस्से में टीका लगा है, उसके इर्द-गिर्द दर्द सूजन होना और कुछ मामलों में बुखार और दौरे पड़ना शामिल हैं। हालांकि ये दुष्प्रभाव अल्प अवधि के लिए होते हैं और दीर्घ अवधि में इनका असर खत्म हो जाता है। हालांकि दो चिंताएं अब भी बरकरार हैं। जिन बच्चों को टीके लगाए गए थे, उनमें दिगामी बुखार के मामले अधिक दिखे थे और मलेरिया के गंभीर मामले जरूर 29 प्रतिशत तक कम हुए थे, लेकिन जिन मामलों में ऐसा हुआ, उनमें दिमागी मलेरिया के अधिक मामले दिखे। हालांकि टीके और इसके दुष्प्रभाव में कोई संबंध नहीं दिखा। चौथा चरण 2022 तक चलेगा और नियमित इस्तेमाल के लिए टीका बाजार में उतारने से पहले सावधानी से नतीजों की समीक्षा की जाएगी।

वास्तव में जीएसके ने आरटीएस,एस का विकास 1987 में ही किया था। 2001 में इसने सिएटल स्थित गैर-लाभकारी पैथ के साथ काम करना शुरू किया था। पैथ ने मलेरिया के टीके के लिए पहल की जिससे जीएसके को आरटीएस,एस का विकास जारी रखने में मदद मिली। तीसरे चरण में हुए परीक्षण को सात देशों के 11 अफ्रीकी शोध संस्थानों का समर्थन मिला था और इसमें इन्हें गेट्स फाउंडेशन का पूरा सहयोग प्राप्त था। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि चौथे चरण को भी वैक्सिन अलायंस गावी (गेल फाउंडेशन से संबंधित स्टार्टअप) और यूनिटाइड से वित्तीय सहयोग मिल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया के कहर से निपटने के लिए जो रणनीति तैयार की है, उसके तहत कीटनाशक तकनीक से लैसे मच्छरदानी और घरों के भीतर छिड़काव के साथ लार्वा मारने वाली दवाओं और खास कपड़े जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय आदि शामिल हैं। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को कई सफलताएं मिली हैं।

2000 से 2015 के बीच दुनियाभर में मलेरिया के मामलों में 41 प्रतिशत तक कमी आई और इससे होने वाली मौतें भी 62 प्रतिशत तक कम हो गईं। हालांकि 2015 की तुलना में 2017 में मलेरिया के अधिक मामले देखे गए। 2017 में दुनिया में मलेरिया के जितने मामले देखे गए, उनमें भारत में दर्ज ऐसे 4 प्रतिशत मामले भी शमिल हैं। हालांकि यह ऐसे मामले 2016 के बाद से 24 प्रतिशत तक घटाने में सफल रहा है। मलेरिया रोधी टीका इस बीमारी से लड़ने में एक अतिरिक्त हथियार साबित हो सकता है।

कानाफूसी

राहुल की रणनीति

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गत शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया। गांधी ने शनिवार की सुबह संवाददाता सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल रही थी कि वह पूर्व निर्धारित तरीके से साक्षात्कार देते हैं जहां सवाल-जवाब तय रहते हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने इस विचार को खारिज करने की कोशिश की, वहीं पार्टी नेतृत्व को लगा कि इस कुप्रचार को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाए जहां पत्रकार कांग्रेस प्रमुख से तमाम तरह के सवाल कर सकें। हालांकि पहले राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि वह संवाददाता सम्मेलन में केवल राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवालों के ही जवाब देंगे लेकिन संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की।

मैं वापस आऊंगी

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती मौजूदा लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका निकट भविष्य में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। पिछले दिनों भोपाल से भाजपा की प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का प्रचार करने भोपाल पहुंची भारती ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल करने के लिए बने 75 वर्ष की उम्र के मानक को ध्यान में रखा जाए तो भी वह सन 2024, 2029 और यहां तक कि 2034 के चुनाव लड़ने के लिए योग्य रहेंगी। उन्होंने साफ जाहिर किया कि वह भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अल्पकालिक विराम है, उनकी अभी राजनीति से दूरी बनाने की कोई इच्छा नहीं है।

आपका पक्ष

अन्न की बरबादी रोकना जरूरी

वर्ष 2018 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर आता है। यह रिपोर्ट वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा बनाई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 45 देशों की गिनती में आता है जहां भुखमरी का गंभीर स्तर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 12.4 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। दुनिया के 15.1 करोड़ बच्चे अविकसित और उम्र के लिहाज से छोटे कद के हैं। वहीं 5.1 करोड़ बच्चे कमजोर हैं। वर्ष 2016 में 5 वर्षों से कम आयु से बच्चों की बाल मृत्यु दर 4.2 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2000 में 8.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2018 में भारत का स्कोर 31.1 रहा जो देश में अब भी गंभीर भूख की समस्या दर्शाता है। सरकार ने अंत्योदय जैसी योजना चलाकर गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते दाम पर गेहूं और चावल मुहैया कराने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी

देश के गरीब नागरिकों की भुखमरी से मौत होना दुखद घटना है। भुखमरी से निपटने का दायित्व केवल सरकार का नहीं बल्कि देश की जनता का भी है। संयुक्त राष्ट्र के कृषि और खाद्य संगठन के मुताबिक कुल अन्न उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा फसल कटाई, माल ढुलाई, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के दौरान बरबाद हो जाता है। भारत में 40 प्रतिशत कृषि उत्पादन का अपव्यव होता है जिससे देश को हर साल एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है। इसे रोकने के लिए उचित प्रबंधन की जरूरत है। देश में रेस्टोरेंट, शादी, होटल और घरों में भारी मात्रा में पके हुए अन्न का लोगों द्वारा अपव्यय किया जाता है। इसे रोकने के लिए लोगों को पहल करना चाहिए। अन्न को बरबाद करने के बजाय वही बचा हुआ अन्न किसी जरूरतमंद संस्था को पूर्व सूचना देकर पहुंचाना चाहिए। जूठे अन्न को फेंकने के बजाय किसी चरवाहे के मवेशी को देना एक बेहतर विकल्प है। शादियों और रेस्टोरेंट में पके अनाज के अपव्यव को रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार को विज्ञापनों के जरिये अन्न के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना चाहिए। अन्न का अपमान ईश्वर का अपमान होता है। इसलिए उचित कदम उठाकर अन्न के अपव्यय को रोक कर भुखमरी की स्थिति से निपटना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

देश में अन्न की बरबादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है

चक्रवाती तूफान और बचने के उपाय

हाल में ओडिशा में चक्रवाती तूफान फनी ने कहर ढाया। राज्य सरकार ने इससे निपटने और नुकसान को कम से कम करने की पुरजोर कोशिश की। तूफान खत्म होने के बाद प्रारंभिक आंकड़ों में जानमाल का अधिक नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की। लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद तूफान से मरने वालों की संख्या 29 बताई जा रही है। इससे संयुक्त राष्ट्र से मिली सराहना की खुशी अधिक दिन तक नहीं रह सकी। हालांकि राज्य सरकार ने जानमाल के नुकसान को काफी कम करने की कोशिश की है। एक बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद नुकसान कम होना यह बड़ी उपलब्धि है। तूफान से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। लोगों के घर हवा में उड़ गए जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। अब उन्हें पुनर्वास की जरूरत है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।